पत्रावली राजस्व लोक अदालत केस
पचायत..[illegible] में दिनांक 31-5-17
पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी
किये जावे।

राजस्व
आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला-बारां

31-5-17 पत्रावली न्याय आपके द्वारा [illegible] में
प्रस्तुत हुई वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई हेतु
दिनांक 9-6-17 को न्यायालय में
प्रस्तुत हो।

राजस्व
आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला-बारां

9-6-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत केस
पचायत [illegible] हेतु दिनांक 10-7-17
पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी
किये जावे।

राजस्व
आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला-बारां

10-7-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा
केस [illegible] मय पत्र काल पेश हुई नकल
वादी एवं उपस्थित वकील वादी का कथन है कि
[illegible] है कि [illegible] एक अन्य प्रकरण
विचाराधीन है इस प्रकरण को Not Press कर
चाहते हैं वादी द्वारा प्रकरण Not Press किया
गया। पत्रावली फीस [illegible] बैंक ड्राफ्ट नकील
नकील [illegible] दाखिल दफ्तर है।